समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या- 51/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड कायमगंज फरूखाबाद।

--------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कायमगंज, फर्रुखाबाद (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने विद्युत संयोजन सं. 346000659 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाये।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

इण्डस टावर लि. कायमगंज फर्रुखाबाद का विद्युत संयोजन सं. 346000659 स्वीकृत भार 15.00 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 8,37,431/- था।

आगे जारी है।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 5/1 ता 5/7 एवं संलग्नक का.सं. 5/8 ता 5/15) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन संख्या 346000659 तथा खाता संख्या 0148911600 जिसका स्वीकृत भार 15 किलोवाट है तथा मीटर संख्या यू.पी.सी. 37052 स्थापित था। जिस परिसर पर ये कनेक्शन स्थापित है उसी परिसर पर विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 722100578307 लगा है। जिसके बिल माह अक्टूबर 2021 की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। यह कनेक्शन ग्राम रोशनाबाद शमसाबाद कायमगंज फर्रूखाबाद में स्थित है। विवादित संयोजन संख्या 0148911600 पर पूर्व में रू. 8,13,908.82 बकाया था। जिसके कारण उपभोक्ता की उक्त कनेक्शन की विद्युत सप्लाई विच्छेदित कर दी गयी थी तथा उसे अवगत कराया गया था कि बिना बिल जमा कराये अवैध रूप से संयोजन जुड़ा पाया गया तो उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज की जायेगी। दिनांक 05.10.2021 को विद्युत पुलिस प्रर्वतन दल एवं श्री संदीप कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री राघव राम पाण्डेय विद्युत उपकेन्द्र शमसाबाद कायमगंज फर्रूखाबाद में विच्छेदित संयोजनों का निरीक्षण किया तो परिवादी का पूर्व में बकाया के आधार पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, उक्त कनेक्शन को दूसरे व्यक्ति के संयोजन संख्या 722100578307 से मीटर से पहले इनकमिंग तार में विद्युत तार जोड़कर उपभोक्ता/परिवादी अवैध रूप 9.134 किलोवाट भार के विद्युत का उपयोग करते पाया गया। जिसके कारण मौके पर चेकिंग रिर्पोट संख्या 49/2017 दिनांक 05.10.2021 तैयार की गयी तथा प्रथम सूचना रिर्पोट सम्बन्धित थाना एण्टी पावर थेफ्ट थाना फतेहगढ़ पर प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 1202 अंर्तगत धारा 135 (1ए) में दर्ज हुई। चेकिंग रिर्पोट 49/2017 दिनांक 05.10.2021 तथा प्रथम सूचना रिर्पोट की फोटो प्रतिलिपि इस जवाबदावे का संलग्नक क्रमशः 2 व 3 है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का कनेक्शन विद्युत चोरी के अंर्तगत आने के कारण उस पर विद्युत बकाया धनराशि विद्युत चोरी तथा अन्य बकाया धनराशि सहित कुल बकाया धनराशि रू. 17,55,409/- है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड कायमगंज फर्रूखाबाद के कार्यालय पत्रांक संख्या 5399/वि.वि.ख.(क.)/नोटिस दिनांक 23.10.2021 के द्वारा परिवादी इण्डस टावर के केयर टेकर श्री चित कुमार, गिरीश चन्द्र खाता संख्या 0148911600 निवासी रोशनाबाद शमसाबाद कायमगंज फर्रूखाबाद को नोटिस कारण बताओ जारी किया गया था किन्तु उक्त के संदर्भ में कोई भी कार्यवाही परिवादी के द्वारा नहीं की गयी। इस नोटिस की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 4 है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन विद्युत चोरी में प्रकरण होने के कारण माननीय न्यायालय के सुनवाई के श्रेत्राधिकार में नहीं आता है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिर्पाटमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर ही परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित हैं जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन जिस प्रकार लिखे गये हैं अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा प्राप्त विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 0148911600 है। जिसका स्वीकृत भार 9.134 किलोवाट है।

आगे जारी है।

धारा 5 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का मीटर पूर्णतया सही प्रकार से कार्य कर रहा था। किन्तु परिवादी के द्वारा विद्युत बकाया धनराशि रू. 8,13,908.82 की धनराशि का भुगतान न करने के कारण कनेक्शन पूर्व में विच्छेदित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में बकाया धनराशि का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया तथा इसी परिसर में लगे दूसरे विद्युत कनेक्शन संख्या के मीटर से पूर्व इनकमिंग तार में विद्युत टावर की सप्लाई लाइन को जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाया गया। जो कि विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है। धारा 6 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशी रू. 8,13,908.82 बाकी था जिसके आधार पर उसकी विद्युत सप्लाई विच्छेदित की गयी थी। उक्त तिथि के बाद से कोई भी धनराशि परिवादी के द्वारा जमा नहीं की गयी। वर्तमान समय में परिवादी के ऊपर सितम्बर 2020 तक बकाया धनराशि 17,55,409/- है व बिजली चोरी का निर्धारण रू. 10,25,859/- है। जिसका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है। परिवादी के लेजर से सम्बन्धित खाते की फोटो कॉपी जवाबदावे का संलग्नक 5 है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि परिवादी यदि विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू कराना चाहता है तो उसके विद्युत कनेक्शन चालू कराने की तिथि से पूर्व तक न्यूनतम उपभोग गारण्टी की धनराशी का भी भुगतान करना पड़ेगा। धारा 7 के कथन विधिक है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यहाँ यह बताना आवश्यक है कि परिवादी को धारा 56(2) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का किस प्रकार से फायदा प्राप्त नहीं हो सकता। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये है जिनमें पिछले विद्युत उपभोग के बिल धनराशि को बतौर एरियर को जोड़ा जाता रहा है। धारा 8 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीरार है। परिवादी के प्रकरण में धारा 56(2) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान लागू नहीं होते है परिवादी को माह दर माह के बिल जारी होने के कारण उक्त प्रत्येक बिल में पूर्व बकाया धनराशि को जोड़ कर बिल जारी किये गये हैं। धारा 9 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विद्युत सप्लाई निरन्तर शहरी प्रकार की सप्लाई के अनुरूप सप्लाई की जा रही है जिसके कारण वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का मीटर पूर्णतया सही चल रहा था तथा उसके आधार पर जारी बिल पूर्णतया सत्य व सही है। जिनका भुगतान करने के लिये परिवादी पूर्णतया उत्तरदायी है। धारा 11 के कथन विधिक है। जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 12 के कथन जो विधिक है उनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। धारा 13 के कथन जिस प्रकार लिखें गये है अस्वीकार है। परिवादी को जारी बिल पूर्णतया सत्य व सही हैं। जिनका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है। धारा 14 के कथन असत्य व अस्वीकार है। विपक्षी के द्वारा परिवादी को समय समय पर सही बिल जारी किये गये जिनका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है। परिवादी के विधिक अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। यह कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी का प्रकरण धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों से वाधित होने के कारण माननीय फोरम के उक्त के संदर्भ में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा परिवादी

आगे जारी है।

कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिवादी के द्वारा विद्युत वितरण खण्ड फर्रूखाबाद को पक्षकार बनाया है जबकि विद्युत वितरण खण्ड कायमगंज फर्रूखाबाद से उसकी (परिवादी की) विद्युत सप्लाई होती है। जो कि आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार न बनाये जाने के कारण भी परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने येग्य है।

<u>निष्कर्ष</u>

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कायमगंज, फर्रुखाबाद के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी का विद्युत कनेक्शन संख्या 346000659 तथा खाता संख्या 0148911600 जिसका स्वीकृत भार 15 किलोवाट है तथा मीटर संख्या यू.पी.सी. 37052 स्थापित था। जिस परिसर पर ये कनेक्शन स्थापित है उसी परिसर पर विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 722100578307 लगा है। जिसके बिल माह अक्टूबर 2021 की फोटो प्रतिलिपि जवाबतावे का संलग्नक 1 है। यह कनेक्शन ग्राम रोशनाबाद शमसाबाद कायमगंज फर्रूखाबाद में स्थित है। विवादित संयोजन संख्या 0148911600 पर पूर्व में रू. 8,13,908.82 बकाया था। जिसके कारण उपभोक्ता की उक्त कनेक्शन की विद्युत सप्लाई विच्छेदित कर दी गयी थी तथा उसे अवगत कराया गया था कि बिना बिल जमा कराये अवैधं रूप से संयोजन जुड़ा पाया गया तो उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज की जायेगी। दिनांक 05.10.2021 को विद्युत पुलिस प्रर्वतन दल एवं श्री संदीप कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री राघव राम पाण्डेय विद्युत उपकेन्द्र शमसाबाद कायमगंज फर्रूखाबाद में विच्छेदित संयोजनों का निरीक्षण किया तो परिवादी का पूर्व में बकाया के आधार पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, उक्त कनेक्शन को दूसरे व्यक्ति के संयोजन संख्या 722100578307 से मीटर से पहले इनकमिंग तार में विद्युत तार जोड़कर उपभोक्ता/परिवादी अवैध रूप 9.134 किलोवाट भार के विद्युत का उपयोग करते पाया गया। जिसके कारण मौके पर चेकिंग रिर्पोट संख्या 49/2017 दिनांक 05.10.2021 तैयार की गयी तथा प्रथम सूचना रिर्पोट सम्बन्धित थाना एण्टी पावर थेफ्ट थाना फतेहगढ़ पर प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 1202 अंर्तगत धारा 135 (1ए) में दर्ज हुई। चेकिंग रिर्पोट 49/2017 दिनांक 05.10.2021 तथा प्रथम सूचना रिर्पोट की फोटो प्रतिलिपि इस जवाबदावे का संलग्नक क्रमशः 2 व 3 है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का कनेक्शन विद्युत चोरी के अंर्तगत आने के कारण उस पर विद्युत बकाया धनराशि विद्युत चोरी तथा अन्य बकाया धनराशि सहित कुल बकाया धनराशि रू. 17,55,409/- है। परिवादी के द्वारा प्राप्त विद्युत कनेक्शन खाता संख्या0148911600 है। जिसका स्वीकृत भार 9.134 किलोवाट है। परिवादी के द्वारा विद्युत बकाया

आगे जारी है।

धनराशि रू. 8,13,908.82 की धनराशि का भुगतान न करने के कारण कनेक्शन पूर्व में विच्छेदित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में बकांया धनराशि का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया तथा इसी परिसर में लगे दूसरे विद्युत कनेक्शन संख्या के मीटर से पूर्व इनकमिंग तार में विद्युत टावर की सप्लाई लाइन को जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाया गया। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि रू. 8,13,908.82 बाकी था जिसके आधार पर उसकी विद्युत सप्लाई विच्छेदित की गयी थी।

(2) पत्रावली के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन स्थित परिसर में विभाग के प्रर्वतन दल द्वारा दिनांक 05.10.2021 को चेक करने पर उपभोक्ता को विद्युत चोरी करते पाया गया था एवं परिवादी का विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गयी एवं सम्बंधित थाने एन्टी पावर थेप्ट, फतेहगढ (का. सं. 5/11) में दिनांक 06.10.2021 को FIR धारा 135 -1(a) में दर्ज करायी गयी।

परिवादी द्वारा सम्बंधित प्रकरण पर इस फोरम में वाद दायर किया है इसलिये प्रकरण से सम्बंधित राजस्व निर्धारण एवं निर्धारण की वसूली पर स्थगन या अन्य किसी प्रकार की राहत प्रदान करना फोरम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पोषणीय नहीं है अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

23/11/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 23/11/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

23/11/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०
दिनांकः- 23/11/2022

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति